तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स आज्ञा	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/10/04.	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रकरण निम्न प्रकार है — प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 136 LRAct पेश कर कथन किया है कि प्रार्थीगण के पिता की खातेदारी की आराजी सेटलमेन्ट से पूर्व की ख.नं. 337 का रकबा 15 बीघा किस्म बारानी तृतीय ग्राम पचपहाड़ तहसील लाडपुरा जिला कोटा के माल में स्थित थी। उक्त आराजी प्रार्थीगण के पिता के खाते कई वर्षों पूर्व अलोट हुई थी, तब से प्रार्थीगण के पिता काबिज काश्त ~~रहे~~ करते आ रहे हैं तथा पिता की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण काबिज व काश्त करते हुए आ रहे हैं। उक्त आराजी गैर खातेदारी में चली आ रही है। बाद सेटलमेन्ट विभाग द्वारा नये नम्बर 517 कायम किये जो सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों के द्वारा अप्रार्थी क्रम.2 के खाते बिना किसी आदेश के दर्ज कर दिए जबकि सेटलमेन्ट विभाग को प्रार्थीगण की आराजी	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

को वन विभाग के नाम दर्ज करने
का कोई अधिकार नहीं था। अतः प्रार्थना
पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि
प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र को स्वीकार
फरमाते हुए सेटलमेन्ट से पूर्व के ख.नं.
337 रकबा 15 बीघा जो सेटलमेन्ट
के बाद खसरा नं. 517 बना है को अप्रार्थी
क्र 2 के नाम से हटाकर प्रार्थीगण को
पूर्व के रिकार्ड के मुताबिक राजस्व रिकार्ड
में अमल दरामद किए जाने के आदेश
प्रदान करें व अन्य कोई न्यायोचित
सहायता जो भी प्रार्थीगण के पक्ष में
उचित हो प्रदान की जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र बाद सुनवाई
इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.11.2015
को खारिज कर दिया गया।

प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय SDO कोटा के निर्णय 18.11.15
से व्यथीत होकर अपील अन्तर्गत
धारा 75 CR Act 1956 न्यायालय
ADC कोटा में प्रस्तुत की गई। सम्माननीय

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय ADC कोटा द्वारा अपने
निर्णय दिनांक 5.10.2016 द्वारा
न्यायालय SDO कोटा का निर्णय दिनांक
18.11.2015 अपास्त कर दिया गया
तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ
प्रतिप्रेषित किया गया कि तहसीलदार
लाडपुरा से वस्तु स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त
कर, राजस्व रिकार्ड, मिलान व जमाबन्दी,
नक्शा ट्रेस आदि का समुचित अवलोकन
कर रकबा बरारी करते हुए तथ्यात्मक
एवं विधि सम्मत निर्णय पारित
किया जावे।

...प्रकरण प्राप्त होने पर पत्रावली
...नः दर्ज रजिस्टर कर नम्बर पर
...ली गई। तहसीलदार लाडपुरा से
...थ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई, जो
...मिल पत्रावली है। अभिभाषक
...र्थी की बहस सुनी गई।

...अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अपील में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स अफसर
	उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ख.न. 337 की भूमि अपीलार्थीगण के पिता दादा की आवंटित शुदा भूमि है जिसे सेटलमेन्ट विभाग द्वारा मनमाने तौर पर नये ख.नं. 517 में शामिल कर दिया जिसका बंदोबस्त विभाग को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था। ख.न. 517 वन विभाग की भूमि है। भू. प्रबन्ध विभाग की गई उक्त त्रुटि को अपीलार्थी द्वारा दुरुस्त कराने के वैधानिक अधिकारी है। हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया तहसीलदार छाडपुरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि- 1. जमाबन्दी संवत् 2038-57 के अनुसार (मिलान क्षेत्रफल अनुसार) ख.नं. 517 रकबा 7.35 Hect का निर्माण सेटलमेन्ट पूर्व के ख.न. 339 मि., 338 मि., 340 मि., 340 मि., 335 मि. नम्बर से मिलकर हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स अफसर	नम्बर व तारीख अहकाम जो किया हुक्म की तामील में जारी हुए
2. सेटलमेन्ट पूर्व के खसरा नं. 337 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी ग्राम पचपहाड़ के जमाबन्दी सेटलमेन्ट के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार ख.नं. $\frac{511}{0.75}$, $\frac{512}{0.15}$, $\frac{513}{1.30}$, $\frac{514}{0.11}$, $\frac{515}{0.32}$ व $\frac{516}{6.05}$ बने हैं। 3. प्रार्थीगण सेटलमेन्ट पूर्व के खसरा नम्बर 337 रकबा 15 बीघा के नवीन निर्मित खसरा नम्बरान में किसी भी खसरा नम्बर पर काबिज नहीं है तथा उपरोक्त खसरा नम्बरान में से किसी भी खसरा नम्बर पर काश्त नहीं की जा रही है। हमने तहसीलदार रिपोर्ट तथा संलग्न दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। यह स्पष्टतया प्रमाणित है कि गत खसरा नम्बर 337 सेटलमेन्ट उपरान्त निर्मित नवीन नम्बर 517 का भाग नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बिना किसी समुचित, दस्तावेजी प्रमाण के ख.नं. 517 में से राहत चाही गई है तथा वन विभाग को पक्षकार बनाया गया है। मिलान क्षेत्रफल संवत् 2038-57 के अनुसार वर्तमान ख.नं. 517 गत खसरा नम्बरान 337, 338, 335, 342, व 340 के भिन्न नम्बरों से मिलकर बना है, जिससे स्पष्ट है कि ख.नं. 517 में प्रार्थीगण खसरा नं. 337 शामिल ही नहीं किया गया है। साथ ही यह भी प्रमाणित होता है कि खसरा नं. 337 के सेटलमेन्ट पश्चात नवीन खसरा नं. 511, 512, 513, 514, 515 व 516 बने हैं। तथा तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार इन खसरा नम्बरान में से प्रार्थीगण किसी भी खसरा नम्बर पर काबिज नहीं हैं तथा किसी भी खसरा नम्बर पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। स्पष्टतया प्रार्थीगण द्वारा पूर्णतया मिथ्या व सारहीन तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है। प्रार्थीगण अपनी प्रार्थना को प्रमाणित करने में पूर्णतया असफल रहे हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 LRAct अस्वीकार योग्य होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

6/11/25

उपखण्ड अधिकारी
कोटा